संख्या-06/2016/502/52-2-16-2(270)/13

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,

सचिव,

उ0प्र0शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

हरदोई,रायबरेली,अम्बेडकरनगर,।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 31 मार्च, 2016

विषयः- अल्पसंख्यक समुदाय के सार्वजनिक कब्रिस्तानों / अन्त्येष्टि स्थलों की चहारदीवारी निर्माण हेतु डी0आर0डी0ए0 के पी0एल0ए0 में रक्षित वित्तीय वर्ष 2013-14 की दितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सर्वे कमिश्नर वक्फ उ०प्र० का पत्र संख्या 159/ व०आ०- 31(88)/2016 दिनांक 18.03.2016, एवं जिलाधिकरी हरदोई का पत्र संख्या-886/अ0स0क0/ 2015-16 दिनांक 17-03-2016, सर्वे कमिश्नर वक्फ उ०प्र० का पत्र संख्या 165/ व०आ०- 31(88)/2016 दिनांक 21.03.2016 एव जिलाधिकारी, रायबरेली का पत्र संख्या- 891/ अ०स०क०अ0/ च०दी०नि०/2015-16 दिनांक 16-03-2016 तथा सर्वे कमिश्नर वक्फ उ०प्र० का पत्र संख्या 164/ व०आ०- 31(88)/2016 दिनांक 21.03.2016, के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अल्पसंख्यक समुदाय के सार्वजनिक कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की चहारदीवारी निर्माण हेतु निम्नलिखित जनपदों की वित्तीय वर्ष 2013-14 की दितीय किश्त की धनराशि रु0 511.445 लाख (रू0 पॉच करोड़ ग्यारह लाख चौवालिस हजार पांच सौ मात्र) जो डी.आर.डी.ए. के पी.एल.ए. में रखी है, को, निम्नलिखित विवरण के अनुसार, पी.एल.ए. से अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति/सहमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि संबंधित जनपदो के जिलाधिकारी के पी.एल.ए. में रखी धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करने के पूर्व वित्तीय वर्ष 2013-14 की प्रथम किश्त की धनराशि से कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की जांच अपने स्तर पर स्वतन्त्र रूप से परीक्षण कराते हुए सुनिश्चित करने एवं उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त ही वर्ष 2013-14 हेतु स्वीकृत दितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा कराये गये कार्यो की उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा गुणवत्ता से संबंधित आख्या शासन को नियमित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चत करेगे ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>जनपदों को अवमुक्त की जा रही धनराशि का विवरण -:</u>

क्र0सं0	जनपद का नाम	आवंटित कुल धनराशि(लाख रूपये में)	डी0आर0डी0ए0 के पी0एल0ए0 में जमा धनराशि धनराशि(रू0 लाख) में	डी0आर0डी0ए0 के पी0 एल0 ए0 से अवमुक्त कराये जाने हेतु प्रस्तावित धनराशि (रू0 लाख में)	दितीय किश्त
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	हरदोई	434.957	217.4785	217.4785	II
2	रायबरेली	272.973	136.4865	136.4865	II
3	अम्बेडकर नगर	314.96	157.48	157.48	II
	योग			रू0 511.445	

(रू0 पॉच करोड़ ग्यारह लाख चौवालिस हजार पांच सौ मात्र**)**

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-11-610 /दस-2016, दिनांक 31 मार्च 2016 मे प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)

सचिव।

<u>संख्या-06/2016/502/52-2-16-2(270)/13 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सर्वे आयुक्त, वक्फ, उ0प्र0, लखनऊ।

2- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।

3- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

4- प्रबन्ध निदेशक, सी. एण्ड डी.एस., उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।

5- मुख्यविकास अधिकारी, हरदोई, रायबरेली, अम्बेडकर नगर।

6- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, हरदोई, रायबरेली, अम्बेडकर नगर।

7- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकरी, हरदोई, रायबरेली, अम्बेडकर नगर

8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11

9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)

विशेष कार्याधिकारी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।